माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ नवीनीकरण की सूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) की केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012, 2013, 2014 में XII उत्तीर्ण एवं पूर्व में केन्द्रीय छात्रवृत्ति हेतु चयनित विद्यार्थियों से द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र **(Offline)** आमंत्रित किये जाते हैं।

MHRD के निर्देशानुसार नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी द्वारा अग्रलिखित शर्तों की पूर्ति अनिवार्य है। विद्यार्थी अध्ययनरत पाठयक्रम में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक से क्रमोन्नत हुआ हो या समकक्ष ग्रेड अथवा यदि सेमेस्टर प्रणाली है तो दोनों सेमेस्टर के अंकों का औसत न्यूनतम 60 प्रतिशत हो। आवेदक की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम नहीं हो। विद्यार्थी रैगिंग गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो एवं उसके अनुशासित होने पर ही छात्रवृत्ति नवीनीकृत की जा सकेगी।

आवेदन–पत्र का प्रारूप, स्नाकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र (केवल 2013 में XII उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये) अन्य छात्रवृत्ति नहीं लेने का शपथ पत्र का प्रारूप, चैक लिस्ट एवं निर्देश बोर्ड की वेबसाइट **www.rajeduboard.nic.in** से डाउनलोड करें एवं निर्देशानुसार प्रविष्टियों की पूर्ति कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ 12 वीं की अंकतालिका संलग्न करते हुये छात्रवृत्ति आवेदन पत्र **निदेशक, शैक्षिक शाखा, कमरा न0 84, तृतीय मंजिल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर** के नाम प्रेषित करें।

नोट– 1. विद्यार्थी दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटोप्रति, बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोप्रति भिजवायें जिसमें **बैंक खाता संख्या, I.F.S.C. Code** स्पष्ट रूप से लिखा हो। **आवेदक अपने बैंक खाते को आधार नम्बर से अनिवार्य रूप से लिंक करवायें।**

2. अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन–पत्र प्रेषण से पूर्व भली–भांति जांच लें कि कोई कॉलम रिक्त या अपूर्ण नहीं हो तथा समस्त दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं। विद्यार्थी लिफाफे पर अपना **संकाय/लिंग/वर्ग** यथा–**ARTS / FEMALE / GENERAL** अवश्य लिखें।

3. तृतीय नवीनीकरण हेतु सूचना के जारी होने से पूर्व जिन विद्यार्थियों ने नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रेषित कर दिये थे उन्हें अब वेबसाइट पर दिये गये नवीन प्रारूपानुसार पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा।

4. आवेदन–पत्र बोर्ड कार्यालय में प्राप्ति की अन्तिम तिथि 30.11.2016 है। तत्पश्चात् प्राप्त नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु कार्य– दिवस में कार्यालय समय **(प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे) दूरभाष संख्या –0145–2632025** पर सम्पर्क कर सकते हैं – **सचिव**